जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट–प्लान) की 193वीं बैठक दिनांक 17.05.2013 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में **"चिन्तन"** कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री जे. बी. जाखड, निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री नीरज तिवाडी,वरिष्ठ नगर नियोजक (I), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्री प्रेम शंकर, वरिष्ठ नगर नियोजक,(III) जविप्रा, जयपुर।
2. श्री शंकर लाल सैनी, उपायुक्त जोन–13, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री के.सी.यादव, उपायुक्त, जोन–6 जविप्रा, जयपुर।
5. श्री लोकेश सहल, उपायुक्त, जोन –4, जविप्रा, जयपुर।
6. श्रीमती मलकेत सिंह, सहायक नगर नियोजक, जोन–9, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री एम.सी. गुप्ता, सहायक नगर नियोजक, ए.सी.टी.पी(एमपी), जविप्रा, जयपुर।
8. प्रिती शर्मा, सहायक नगर नियोजक, ए.मी. सेल, जविप्रा, जयपुर।
9. श्रीमती उषा जैन, जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:–

एजेण्डा संख्या :–1

193 / 17.05.2013

विषय:– बी.पी.सी.(एल.पी.) बैठक कमांक 192वीं बैठक दिनांक 04.04.2013 को सम्पन्न हुई बैठको के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः 1 व 2 यूनिक सिटि की आवासीय योजना में कुछ खसरों के स्वामित्व का विस्तृत परिक्षण किये जाने के उपरान्त प्रकरण पुनः भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) के समक्ष प्रस्तुत किया जावें, तब तक पूर्व निर्णय स्थगित रखा जावें। शेष कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्या :–2

193 / 17.05.2013 (जोन–पी.आर.एन.)

विषय:– पृथ्वीराज नगर (दक्षिण) सेक्टर 19 में विकसित 30 फिट सडक को 80 फिट चौडी सडक में समायोजित करने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) बैठक में उपस्थित नहीं होने के कारण स्थगित रखा जावें।

एजेण्डा संख्या :–3

193/17.05.2013 (जोन–मा. प्लान)

विषयः– प्रारूप सेक्टर प्लान–81 के अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) बैठक में उपस्थित नहीं होने के कारण स्थगित रखा जावें।

एजेण्डा संख्या :–4

193/17.05.2013 (जोन–मा. प्लान)

विषयः- प्रारूप सेक्टर प्लान–68 के अनुमोदन बाबत्।
के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) बैठक में उपस्थित नहीं होने के कारण स्थगित रखा जावें।

एजेण्डा संख्या :–5

193/17.05.2013 (जोन–4)

विषयः– टैगोर नगर गृ.नि.स.स. की योजना जादीन नगर–बी के भू.सं. 79ए को साईड सैटबैक 10 फिट को कम किये जाने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि इस भूखण्ड का उपविभाजन होने के पश्चात् उपविभाजित भूखण्ड में पर्याप्त आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है इसलिए साइड सैटबैक 5'–0" रखा जावें।

एजेण्डा संख्या :–6

193/17.05.2013 (जोन–6)

विषयः–दी कृष्णा गृ.नि.स.स. की योजना उद्योग नगर के भूखण्ड संख्या 11, 12, 13, 14 के पुर्नगठन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि भूखण्ड संख्या 11, 12, 13, 14 उद्योग नगर, दी कृष्णा गृ.नि.स.स के भूखण्डों का पुर्नगठित स्वीकृत किया जावें। सैटबैक व पैरामीटर्स जविप्रा भवन विनियम 2010/2011 के अनुसार देय होगें। पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500.00 व.ग. से अधिक है इसलिए राज्य सरकार की स्वीकृति ली जावें।

एजेण्डा संख्या :–7

193/17.05.2013 (जोन–8)

विषयः– सेक्टर प्लान में 30 मीटर चौडी सेक्टर रोड का एलाईमेंट मौके पर निर्मित 30 मीटर चौडी ग्रामीण सडक पर करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मा. प्लान) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) बैठक में उपस्थित नहीं होनें के कारण स्थगित रखा जावें।

एजेण्डा संख्या :–8

193/17.05.2013 (जोन–8)

विषयः–सेक्टर 49 में 1 किमी से अधिक प्रस्तावित 7 सेक्टर रोडों में से कुछ सेक्टर रोड को विलोपित किए जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श के दौरान समिति द्वारा गठित कमेटी की रिर्पोट एवं तैयार किया गया संशोधित पार्ट सेक्टर प्लान का अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात् ड्राफ्ट संशोधित पार्ट सेक्टर प्लान को जोन स्तर में आम जनता से आपत्ति/सुझाव मांगे जाने हेतु प्रकाशित करवाये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या :–9

193/17.05.2013 (जोन–11)

विषयः– आवेदक श्रीमती शशिकला शर्मा द्वारा ग्राम भापुरा तह. सांगानेर की 2.39 हैक्ट. भूमि पर होटल (पर्यटन इकाई) का मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि प्रार्थी के भूखण्ड की लम्बाई अत्यधिक होने व चौडाई कम होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को समिति से उचित नहीं माना गया अतः होटल (पर्यटन ईकाई) के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जावें।

एजेण्डा संख्या :–10

193 / 17.05.2013 (जोन–9)

विषयः– शिव शंकर गृ.नि.स.स. की योजना लाजपत नगर के भूखण्ड संख्या 108 का नियमन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि प्रश्नगत भूखण्ड संख्या 108 तिराहे पर सृजित होने के कारण तथा सैटबैक छोडने के पश्चात् आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण प्रकरण को अस्वीकृत किया जावें।

एजेण्डा संख्या :–11

193 / 17.05.2013 (जोन–12)

विषयः– आवेदक महिमा, श्वेता, गरिमा, शुभा, तृप्ति, सविता, स्मिता पुत्रियां श्रीमती सावित्री देवी के द्वारा 18.81 हैक्टर भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि नगरीय विकास विभाग के पत्रानुसार योजना का लिंक 80 फिट से होना आवश्यक है। आवेदक द्वारा अन्य योजना की 80 फीट सड़क से लिंक होने के संबंध में योजना मानचित्र प्रस्तुत किया गया, जिसका सत्यापन किये जाने के उपरान्त पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

अध्यक्ष महोदय की अनुमती से निम्न अतिरिक्त एजेंण्डो पर भी विचार किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–1

193 / 17.05.2013 (जोन–10)

विषयः–ग्रुप हाउसिंग योजना के अनुमोदन एवं सेक्टर 34–35 में 60 फिट चौडी सडक की स्थिति परिवर्तन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि 60 फिट चौडी सडक के परिवर्तन के संबंध में जोन स्तर से आम जनता से आपत्ति / सुझाव मांगे जाने हेतु प्रकाशन करवाया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–2

193 / 17.05.2013 (जोन–11)

विषयः–सोसायटी फोर वेलफेयर अवेरनेस रिसर्च गाइडेन्स की भूमि एवं जयपुर विकास प्राधिकरण का फार्म हाउस योजना से गुजर रही सेक्टर रोड की स्थिति में परिवर्तन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बैठक में उपस्थित उपायुक्त जोन द्वारा प्रकरण का विस्तृत परीक्षण पुनः करने का निवेदन किया। अतः प्रकरण का परीक्षण करने के पश्चात् आगामी बैठक में रखा जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–3

193 / 17.05.2013 (जोन–12)

विषयः–श्री कृष्ण कृपा हाउसिंग प्रा.लि. द्वारा ग्राम निमेडा तह. जयपुर के खसरा नं. 241/3 श.न. 242/3, 408/3, 409/3, 241/4, श.न. 242/4, 408/4, 401/4 कुल किता 8 कुल रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि में योजना अनुमोदन एवं सेक्टर रोड की स्थिति परिवर्तन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि सेक्टर प्लान की सडक की स्थिति परिवर्तन के संबंध में जोन स्तर से आम जनता से आपत्ति/सुझाव मांगे जाने हेतु प्रकाशन करवाया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–4

193 / 17.05.2013 (जोन–11)

विषयः–मैसर्स सिद्धी विनायक अफोर्डेबल होम्स (पार्टनरशिप) व अन्य के द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (खसरा नं. 749, 757, 775, 750, 741, 742, 752, 753, 754, 772, 755, 774, 774/1, 740, 758, 739, 756/1 कुल किता 17 कुल रकबा 6.14 हैक्ट. ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर) के उपविभाजन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के तहत प्रस्तुत आवेदन पर उपविभाजन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि उपविभाजन मानचित्र राज्य सरकार की नीति के अनुसार स्वीकृत किया जावें एवं राज्य सरकार के आदेश दिनांक 06 मई 2013 के अनुसार उपविभाजन शुल्क नहीं लिया जावें तथा सामने का सैटबैक पूर्व में जारी स्थल मानचित्र के अनुसार 15 मीटर रखा जावें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

22/5/13

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :– जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी) / बीपीसी / 2013 / डी– 0118
दिनांक:– 22/5/13

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक नगर आयोजना जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त (पूर्व) / (पश्चिम) / (एलपीसी) / (भूमि), जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एमपी) जविप्रा जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर। विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
9. लेखाधिकारी (भूगतान), जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।

22/5/13

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।